

राजस्थान सरकार
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग

क्रमांक : ए. 15(7) शिक्षा-1 / प्रा. शिक्षा / 2008

जयपुर, दिनांक : 18/5/2008

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
जीकानेर।

विषय:- निजी क्षेत्र में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शैक्षणिक वर्ष 2009-10 के लिए प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने सम्बन्धित।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) जयपुर से जारी मान्यता/सीट आवंटन पत्र के आधार पर निर्देशानुसार निम्नलिखित 08 निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 4 में अधिकतम प्राशिक्षण पाठ्यक्रम से कॉलम संख्या 5 में अधिकतम सीटों की संख्या के साथ प्रवेश प्रक्रिया वर्ष 2009-10 में राज्य में वर्तमान में संचालित प्रवेश प्रक्रिया में प्रवेश आउ-सिनिंग में सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	सं. सीटों का पत्रांक / दिनांक	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
(1)	F.NRC/NCTE/RJ-1905/2008/52957-67 Dated 19.09.2008	वीपी बीएसटीडी स्कूल, राजपुर, बुल	STC	50
(2)	F.NRC/NCTE/RJ-1053/2008/6309-100 Dated 22.09.2008	वर्धमान शिक्षक प्रशिक्षण बीएसटीडी विद्यालय, मान-पो, गोपालपुर, सीकर	STC	50
(3)	F.NRC/NCTE/RJ-1309/2008/64252-58 Dated 22.09.2008	अशोक रसोईरी कॉलेज, कालका महरा राठ, जयपुर	STC	50
(4)	F.NRC/NCTE/RJ-1366/2008/64916-12 Dated 29.09.2008	महाराष्ट्र शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज, अलवर, साहसपुर, कोटा	STC	50
(5)	F.NRC/NCTE/RJ-1651/2008/64400-12 Dated 01.10.2008	महाराष्ट्र शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज, कालका महरा राठ, सीकर, जयपुर	STC	50
(6)	F.NRC/NCTE/RJ-1904/2008/67275 Dated 21.12.2008	वीपी नवीन स्कूल सीकर बीएसटीडी, सीकर-3, इन्दुनाथपुर टाउन	STC	50
(7)	F.NRC/NCTE/RJ-1717/2008/67289 Dated 23.12.2008	महाराष्ट्र शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज, कालका महरा राठ, अलवर	STC	50
(8)	F.NRC/NCTE/RJ-937/2008/67295 Dated 23.12.2008	ज्योति शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय, अहिसापुरा, कालका महरा राठ, जयपुर	STC	50

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित संस्थाओं के मान्यता/सीट आवंटन पत्रों में अधिकतम निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति की सुनिश्चितता किये जाने के पश्चात् ही संस्थाओं को छात्र आवंटित किये जायें:-

- The institution shall, within one month of the receipt of recognition order, convert the endowment fund and reserve fund accounts into a joint accounts to be operated along with an officer of the Northern Regional Committee.
- The institution shall comply with the various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.

(iii) The institution shall make admission only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(12) of the NCTE Regulations, 2007 notified on 10.12.2007.

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मान्यता और क्रियाविधि) विनियम 2007 के विनियम 7(11) के तहत इन संस्थाओं को उच्चतम शर्तों की पूर्ति के अधीन मान्यता/सीट आवंटन पत्र जारी किये गये हैं। जबकि इन्हीं विनियमों के विनियम 8(12) के तहत क्षेत्रीय समिति द्वारा विनियम 7(11) के अधीन मान्यता का आदेश प्राप्त होने और परीक्षा निष्काय के साथ संबंध प्राप्त होने के बाद ही संस्था में छात्र प्रविष्ट किए जाने का प्रावधान है। इसलिए इन संस्थाओं को इन संस्था (i) पर अधिकतम शर्तों को मान्यता किये जाने पर ही छात्र आवंटित किये जायें।

शासन उप सचिव
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा
4. निदेशक, शिक्षा विभागीय परीक्षा, राजस्थान, जीकानेर।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर।
6. राज्यपाल, बीएसटीडी/एनटीडी 2008 से प्राचार्य, राजस्थान न्यायविद्यालय अजमेर।
7. संबंधित संस्था
8. संबंधित प्रशासक।

शासन उप सचिव